

790
11.07.16

11/316

— आदेश —

प्राथमिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत समूह 'ख' के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अनुक्ति
1	2	3	4	5
1.	अश्वनी कुमार, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, बरगड (चित्रकूट)	राजकीय पालीटेक्निक, भरेली	स्वयं के अनुरोध पर
2.	साकिब अली, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, सुमेरपुर, हमीरपुर	राजकीय पालीटेक्निक, डीठ, रावर, उन्नाव	स्वयं के अनुरोध पर
3.	अरुण कुमार सिन्हा, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, हरदोई	राजकीय पालीटेक्निक, आलापुर, दातागंज, बदायूं (वर्तमानतः राजकीय पालीटेक्निक, भरेली)	स्वयं के अनुरोध पर
4.	विलसन, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर	राजकीय पालीटेक्निक, शाहाबाद (समपुर)	स्वयं के अनुरोध पर
5.	प्रमोद कुमार, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर	राजकीय पालीटेक्निक, टूण्डला (फिरोजाबाद)	स्वयं के अनुरोध पर
6.	अमित कुमार, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण	बाबा साहेब डा० भीम राव अम्बेडकर राजकीय पालीटेक्निक, औरंगा	राजकीय पालीटेक्निक, मनकेशा (आगरा)	स्वयं के अनुरोध पर

उपरोक्त में से जिन कर्मियों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित प्रशासनिकों को निर्देशित किया जाता है- कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कर्मियों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अविलम्ब कार्यमुक्त न करें, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कर्मियों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कर्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अयत्नपूर्वक न किया जाये और यदि उक्त कर्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी नियमावली-1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान किया जायेगा तथा उक्तकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश कर्मिक विभाग के पत्रांक-5/2016/1/11.05.2016 द्वारा निर्मित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण पत्रांक-1086/सालह-2-2016-38(इं)/2016, दिनांक-02.06.2016 में निहित निर्देशों निर्मित किये जा रहे हैं।

96-का-4-2016, दिनांक-2016-2017 एवं शासन के तिनकों/प्रावधानों के अधीन
(अश्वनी कुमार)
निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।


9658-89

पु०सं०-

/ई-2-दो-265.

कानपुर : दिनांक: 30 जून, 2016

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
 2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
 3. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
 4. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, कानपुर।
 5. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।
 6. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, दौराला (मेरठ)/मध्य क्षेत्र, लखनऊ/पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी /बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी।
 7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 8. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 9. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 10. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, राजकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थायें, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपनी संस्था से संबंधित कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
 11. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था प्रधानाचार्य।
 12. प्रकरण सहायक (सेवा संबंधी), स्थापना अनुभाग।
 13. प्रकरण सहायक, सी०आर० युप।


(आर०सी० राजपूत)
अपर निदेशक,
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।